चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 02 परिवार को टूटने से बचाया।
(1). प्रथम पक्ष आवेदिका आरती पत्नी गोरेलाल निवासी थाना मानिकपुर द्वारा द्वितीय पक्ष पति के विरूद्ध (2). प्रथम पक्ष आवेदिका लल्ली पुत्री रोशन निवासी रैपुरा द्वारा दितीय पक्ष पति विनय,सास एवं ससुर के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,मारपीट ,गाली गलौज तथा घर से बाहर निकालने करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा दोनों प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 श्रीमती शकुन्तला देवी एवं आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती शकुन्तला देवी
2.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 15.09.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्ता सुशीला पत्नी लाल सिंह यादव निवासी बुद्धु का पुरवा मजरा कौहरी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 8320/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय चित्रकूट श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 15.09.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 336/2010 धारा 452,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कमलेश कुमार साहू पुत्र बुआराम साहू निवासी बल्दाऊगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि व 1200/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस
माननीय न्यायालय अपर सिविल जज(सी0डि0) एसीजेएम चित्रकूट द्वारा पुलिस अभिरक्षा से फरार 02 आरोपी अभियुक्तों को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000/- रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) एसीजेएम चित्रकूट श्री अंशुमान यादव द्वारा आज दिनाँक 15.09.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 259/2018 धारा 224 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू 2.प्रभाकर त्रिपाठी पुत्रगण रामस्वरूप त्रिपाठी निवासीगण सेमरिया जगन्नाथवासी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 500/-500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जनपद - चित्रकूट
थाना – कोतवाली कर्वी
मु0अ0स0-553/26
धारा-191(2),132,121(1),121(2),115(2),352,351(3) बीएनएश
दिनाँक घटना - 14.09.2026 समय लगभग-18.10 पीएम
दिनाँक सूचना - 15.09.2026 समय –01.36 एएम
घटना स्थल – ग्राम डिलौरा से गढीवा जाने वाला मार्ग तिराहा
सूचनाकर्ता – प्रणव कुमार पाण्डेय आबकारी निरीक्षक
बनाम- विजय निषाद पुत्र मोतीलाल,पुरषोत्तम उर्फ राजा पुत्र मुन्ना निषाद निवासीगण डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी जानकी निषाद पुत्र देशराज ,सुख्खु निषाद पुत्र देशराज,देशराज निषाद पुत्र बच्चन निषाद निवासीगण लुहसरिहन थाना नयांगाव जनपद सतना व 09 से 10 व्यक्ति नाम व पता अज्ञात

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.09.2026 को समय करीब 18.10 बजे आबकारी टीम शराब निष्कर्षण तथा रोकथाम हेतु ग्राम डिलौरा मे गढीवा जाने वाले तिराहे पर पहुंची जहां पर मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि मनोज कुमार गुप्ता की प्लांटिग के बगल में आरोपीगण उपरोक्त द्वारा कच्ची शराब बनायी जा रही है। जब आबकारी टीम रोकथाम हेतु पहुंची जो 10 से 15 लोगो द्वारा गाली गलौच करते हुये लाठी डंडो से मारपीट करने लगे जिसमें आबकारी सिपाही सागर के सर में गंभीर चोट लग गयी।